बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

स0सं0–निग / सारा(निगम) आरोप–24 / 2026 पटना, दिनांक :– 5/06/2026

कार्यालय आदेश – 144

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक–1400 दिनांक–05.06.2026 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर–वरूणा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित LC-70A पर रेलवे ओवरब्रिज का कार्य निर्माणाधीन है। इसमें रेलवे ऊपरी पुल एवं Viaduct का निर्माण कार्य पूर्ण कर यातायात के लिए एक माह पूर्व खोला गया था। विभिन्न Media एवं Social Media के माध्यम से एक Video प्राप्त हुआ है, जिसमें एक Span के एक तरफ Expansion Joint के पास Slab क्षतिग्रस्त दिख रहा है, जो प्रथम दृष्ट्या कार्य में अनियमितता प्रतीत हो रही है। उक्त मामले में निर्माण कार्य से संबंधित अभियंता श्री अखिलेश कुमार, परियोजना अभियंता (सहायक अभियंता), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम कार्य प्रमंडल, आरा एवं श्री हरेराम राम, परियोजना अभियंता (सहायक अभियंता) तथा श्री अजीत कुमार, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम कार्य प्रमंडल, आरा को कार्य में शिथिलता बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की अनुशंसा की गयी।

2. प्रश्नगत मामले की विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर–वरूणा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित LC-70A पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य में श्री अजीत कुमार, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा के द्वारा शिथिलता बरती गयी है। श्री कुमार का यह कृत्य घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम –3. (1) (i), (ii) एवं (iii), यथा सरकारी सेवक को पूरी शीलनिष्ठा रखना, कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखना तथा ऐसा कोई काम न करना जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो का उल्लंघन है, जिसके लिए वे दोषी है। अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री अजीत कुमार, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1)(क)में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री अजीत कुमार, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा का मुख्यालय अभियंता प्रमुख (मु0) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन की अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–10 के तहत् अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिन्हा)
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH

ज्ञापांक :– निग / सारा(निगम) आरोप–24 / 2026 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना / अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, पटना / उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03, पथ निर्माण विभाग, पटना / उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा / अवर सचिव, (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 / 2 / 3 / 6 / 13 / 14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, **श्री अजीत कुमार, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, आरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा(निगम) आरोप–24 / 2026 3981 (S) पटना, दिनांक :– 05/06/2026

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

05.06.2026

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH